

कार्यालय जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, धौलपुर
 क्रमांक/आपदा प्रबंधन/2025/592

दिनांक- 04/11/2025

वित्तीय स्वीकृति

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक एफ.8 (18) आ.प्र. एवं सहा. प्रस्ताव/ बाढ 2025/राजकाज 18467830 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 586 दिनांक 30.10.2025 के अनुसरण में मानसून सत्र वर्ष 2025 में जिले में अतिवृष्टि/बाढ से क्षतिग्रस्त पेयजल सम्पत्ति की अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) से नियमानुसार एवं निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है:-

क्र०स०	ब्लॉक का नाम	कार्य का नाम			क्षति का मुख्य कारण	क्षतिग्रस्त पेयजल पाईपलाईन का क्षतिग्रस्त हिस्सा (किमी)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृत राशि (लाखों में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्यकारी संस्था जनको कार्य किया जाना है।
		क्षतिग्रस्त स्कीम	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण	क्षतिग्रस्त स्कीम मय लोकेशन						
1	धौलपुर	शहरी जलयोजना धौलपुर	400 एम.ए म. व्यास मुख्य साईजनिंग पाईप लाईन	चम्बल हैड वर्क्स से मैन हाईवे तक	बाढ एवं अतिवृष्टि	0.340	1.98	1.89	1.89	अधिशापी अभियंता, जन-स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग खण्ड धौलपुर
						0.340	1.98	1.89	1.89	

शब्देन राशि - एक लाख नवासी हजार रूपये मात्र

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जावेगा :-

1. कर्म तक्नीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद शुरु किया जावेगा ।
 2. मरम्मत कार्य आपदा प्रबंधन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी मापदण्डों एवं गाइड-लाइन के अनुसार कराया जावेगा।
 3. कार्य एस.डी.आर.एफ नॉर्म्स क अनुसार किया जायेगा। अतः कार्यकारी संस्था स्वीकृत राशि से अधिक उपयोग न करें।
 4. **Defect Liability Period** के तहत जो कार्य आते हैं , उनकी मरम्मत एस.डी.आर.एफ से देय नहीं है।
 - 6-उक्त स्वीकृत कार्य एक माह की अवधि में कराये जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवायेंगे। विलम्ब के लिये सम्बधित विभाग एवं कार्यकारी ऐजेंसी जिम्मेदार हांगी।
 - 7-सम्बधित विभाग/कार्यकारी ऐजेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में राशि का उपयोग लिये जाने के उपरांत ही एस.डी.आर.एफ का उपयोग लिया जावेगा।
 - 8-कार्यकारी ऐजेंसी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी हांगी।
 - 9-आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करावें तथा शेष राशि विभाग को तत्काल समर्पित की जावे।
 - 10-कार्यों की प्रशासनिक , तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत्तियां उपरांत ही राशि का नियमानुसार व्यय किया जावें।
 - 11-केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुर्नसुत्थान के कार्य ही करवाये जावे, जो एस0डी0आर0एफ0 नोर्म्स में दिये गये प्रावधा अनुसार हां।
 - 12-उपखण्ड स्तरीय समिति के सदस्य द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण किये जाने के उपरांत ही जल संसाधन विभाग के कार्यों की स्वीकृति जारी की जावे।
 - 13-स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु.लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम -2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देशों , तत्सम्बधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
 - 14-बैंक खाते में हस्तांतरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा ।
 - 15-कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यों का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित करें ।
- सलग्न:- आपदा प्रबंधन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8 (33) आ.प्र. एवं सहा.
/बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज/
- 18467830 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में प्रदत्त समस्त निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
धौलपुर

क्रमांक/आपदा प्रबंधन/2025/ 592

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 04/11/25

1. श्रीमान् अति० मुख्य सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज० जयपुर ।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर।
4. अति० जिला कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी सहायता धौलपुर।
5. उपखण्डाधिकारी धौलपुर
6. अधीक्षण अभियंता जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर को भेजकर लेख है कि आप जिले में बाढ से क्षतिग्रस्त जल संसाधन विभाग के कार्यों की पत्र में अकिंत निर्देशानुसार कार्यकारी ऐजेंसी से समन्वय किया जाकर नियमानुसार मरम्मत की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।
7. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर
8. तहसीलदार धौलपुर
9. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कले० धौ०/कोषाधिकारी धौलपुर।
10. विकास अधिकारी प.स. धौलपुर
11. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी धौलपुर।
12. आदेश रक्षित

जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
धौलपुर

RajKaj Ref No.
18677622
@Sign DSC

Document certified by Sreenidhi Banavara
Thimppa <SREENIDHI.BT@SMAIL.COM>

Digitally Signed by SREENIDHI B.
T
Designation : Collector & District
Magistrate
Date : 04-11-2025 07:41:29